प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग **देहरादून दिनांक : 28 मार्च, 2018**

विषयः— वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक—2204—खेलकूद तथा युवा सेवायें—001—निदेशन तथा प्रशासन—01—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—0104—एन0एस0 एस0 प्रकोष्ठ 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 04—यात्रा व्यय मद में रू0 30,000/— मात्र की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2437/दो—लेखा—2897—A/2017—18 दिनांक 20.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक—2204—खेलकूद तथा युवा सेवायें—001—निदेशन तथा प्रशासन—01—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—0104—एन0एस0 एस0 प्रकोष्ठ 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 04—यात्रा व्यय में प्राविधानित धनराशि ₹ 1,00,000/— लाख के सापेक्ष ₹ 30,000/— (₹ तीस हजार) मात्र को आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

2— यह शासनादेश इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जा रहा है कि निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल इस यात्रा व्यय से सम्बन्धित बिल एवं बाउचर्स का सत्यापन अपने स्तर पर करते हुए संतुष्ट होने के पश्चात् ही यह धनराशि जारी करेंगे।

3— उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा विभिन्न मदों में एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ हेतु निर्धारित सीमान्तर्गत बजट की धनराशि उपभोग की जाएगी। यदि किसी मद में सीमा से अधिक धनराशि निर्गत हो गयी हो, तो तद्नुसार अवगत कराते हुए सीमान्तर्गत व्यय कर अधिक धनराशि को समर्पित कर दिया जाए।

4— उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0—318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या—400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या—490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016, शासनादेश संख्या—312/ 3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 तथा शासनादेश संख्या—610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5— मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

6— उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय

में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

7– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 04–यात्रा व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–187/VI-2/2018–51(03)16 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. राज्य एन0एस0एस0 अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।